

(ख) विद्यार्थियों के लिये आचरण संहिता

सामान्य नियम -

छात्रावास के शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही या भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजन नहीं होगी पाहिye।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण अध्ययन में लगावेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पार्यटन गतिविधियों में भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, अस्वतन्त्र भाषा का प्रयोग, माली गलीच, मादपीट किसी भी प्रकार के शस्त्र या अग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से गमता एवं भवता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है। वह सरल, निर्व्यय और मिलव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में झूठ-उपट धूमना, दीवारों को गन्दा करना या गन्दी (अश्लील) बातें लिखना सख्त बना है। विद्यार्थी को असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में शामिल बाने जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा का आलाप फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनैतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय में मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

आध्ययन संबंधी नियम -

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा।
3. शिक्खालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकों द्वारा होगी तथा समय से न झीझने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों को समय अथवा प्राचार्य को समय शांति पूर्वक रूप से अम्हावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षाओं, प्रयोगशालाओं वा कानूनलयों में स्थित बेंचे, स्टाईट, फनीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़-फोड़ कठना दण्डात्मक आचरण माना जावेगा।